कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं. खुशीलाल शर्मा, शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,
(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार–नेहरू नगर रोड, भोपाल 462003)
Website: - www.klsgaci.edu.in दूरभाष क्रं. – 0755 – 2970310
E - mail: - principal@klsgaci.nic.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांक / 2023 / योजना / 1270 भोपाल, दिनांक 18/05/2023

Junior Research Associate (JRA) हेतु विज्ञापन

पं.खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद संस्थान, भोपाल (म0प्र0) में Madhya Pradesh Council of Science & Technology (MPCST) के Evaluation of the Efficacy of Shivlingi Beej Churna in the management of Infertility due to Anovulation" प्रोजेक्ट अन्तर्गत प्रोजेक्ट में रिसर्च कार्य हेतु योग्य अभ्यर्थियों से प्रोजेक्ट अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर निम्नांकित शर्तों के अनुरूप आवेदन आमंत्रित किये जाते हैः–

क्रं. सं.	पद	संख्या	योग्यता विवरण	चयन आधार, दिनांक एवं समय	मानदेय राशि
1.	कनिष्ठ अनुसंधान सहायक (Junior Research Associate)	01	**आवश्यक / Essential:** • किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ए.एम.एस. उपाधि। **वांछनीय / Desirable:** • कम्पयूटर का ज्ञान / एम.एस. ऑफिस में दक्षता। आयु सीमा : 35 वर्ष से अधिक नहीं।	लिखित परीक्षा / / शार्टलिस्ट लिखित परीक्षा / साक्षात्कार तिथि व समय पृथक से वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जावेगा।	रु.20,000.00 / – प्रतिमाह (प्रोजेक्ट नियमानुसार)

नोटः–

1) आवेदन संबंधी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी, नियम एवं शर्तें, आवेदन प्रपत्र सहित संस्थान की वेबसाइट www.klsgaci.edu.in पर उपलब्ध है।
2) आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि :– **08 जून 2023।**
3) अधिकतम आयु सीमा हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि ही आयु गणना का आधार होगी।
4) किसी भी प्रकार का संशोधन केवल संस्थान की वेबसाइट http://www.klsgaci.edu.in पर ही प्रदर्शित किया जावेगा।
5) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं प्रोजेक्ट हेतु अनुबंध आधार पर अधिकतम 01 वर्ष के लिये होगी। प्रोजेक्ट पीरियड समाप्त होने अथवा कार्य संतोषजनक न होने पर नियुक्ति समाप्त की जावेगी। भविष्य में इस नियुक्ति को नियमित अथवा स्थायी करने का दावा (अधिकार) मान्य नहीं होगा।
6) चयनित अभ्यर्थी अनुबंध छोड़ने से पहले 1 माह पूर्व संस्थान में नोटिस प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार संस्थान द्वारा कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर नियुक्ति समाप्त करने के पूर्व 01 सप्ताह का नोटिस दिया जावेगा।
7) आवेदक को साक्षात्कार / परीक्षा में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का टीए / डीए देय नहीं होगा।
8) संस्थान के प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नियुक्ति शर्तों में संशोधन / नियुक्ति विज्ञापन को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।

-00-

(डॉ. उमेश शुक्ला)
प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

Junior Research Associate (JRA)
APPLICATION FORM

PHOTO

1. Full Name:-______________________________

2. Father's Name:-______________________________

3. Permanent Address:-______________________________

____

4. Address for Correspondence / Present Address :-

____

____

5. Date of Birth:-________________ 6. Sex: Male: [ ] Female: [ ]

9. Category: SC/ST/OBC/UR______________________________

10. E-mail id:______________________________ 11. Mobile No. ________________

12. Aadhar No./any identity card no.______________________________

13. Educational Qualification:

Exam Passed	Board/University	Year of Passing	% of Marks/Div.

14. Experience:

Name of the Organization	Designation	Nature of Duty	Period		Duration in Month
			From	To	

List of Self Attested Copy Documents:-

1. 10th Marksheet.
2. BAMS Marksheets.
3. BAMS Degree Certificate.
4. Registration Certificate.
5. Any Others.

Declaration:

I hereby declare that the information furnished by me as above is truly completed which is correct to the best of my knowledge and belief, I understand that in the event of my information being found false or incorrect at any stage, my candidature / appoint shall be liable to cancelled / terminated without any notice or without any compensation is lieu thereof.

Date:

Place: **(Name & Signature of Applicant)**

Date:

Madhya Pradesh Council of Science & Technology (MPCST) के Evaluation of the Efficacy of Shivlingi Beej Churna in The Management of Infertility Due to Anovulation"
प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु

कनिष्ठ अनुसंधान सहायक की सेवाओं के अनुबंध हेतु

//नियम एवं शर्ते//

1. प्रोजेक्ट दिशा निर्देशों के अनुसार कनिष्ठ अनुसंधान सहायक को प्रतिमाह रूपये 20000/– (रू. बीस हजार मात्र) निश्चित राशि (मानदेय) देय होगी।
2. प्रोजेक्ट अंतर्गत कार्य समाप्ति के पश्चात कार्यकाल स्वयमेव समाप्त हो जावेगा जिसकी सूचना पृथक से नहीं दी जावेगी।
3. चयनित अभ्यर्थी को नियम एवं शर्तों के अनुरूप कार्य करना होगा एवं किसी भी स्थिति में कार्यमुक्त होने से पूर्व संस्थान की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
4. अनुबंधित व्यक्ति को संस्थान के पूर्व अनुमति के बिना सपादित किये गये कार्यों की जानकारी तृतीय पक्ष को हस्तान्तरित, प्रकाशित एवं उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। कार्य प्रारंभ करते समय इस आशय का वचन पत्र 100 रू. के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
5. संबंधित के त्याग पत्र देने की स्थिति में अथवा परियोजना के समाप्त होने के पश्चात सभी दस्तावेजों एवं संस्थान द्वारा उपलब्ध सामग्री को संस्थान में जमा कराना अनिवार्य होगा।
6. यह सेवाएं सम्बन्धित प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूर्णतः अंशकालिक अनुबंध मात्र है। अतः भविष्य में नियमितिकरण से संबंधित कोई भी दावा (क्लेम) मान्य नहीं होगा।
7. संबंधित व्यक्ति किसी भी हैसियत से संस्थान स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे ओर वह लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।
8. अनुबंधित उम्मीदवार को अनुबन्ध के पूर्व इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं हैं, साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत नहीं है।
9. कनिष्ठ अनुसंधान सहायक हेतु सामान्यतः कार्यालयीन समय प्रातः 09 से सायं 05 बजे तक होगा तथापि प्रोजेक्ट कार्यानुसार, प्रोजेक्ट प्रिंसिपल इन्वेस्टीगेटर के निर्देशानुसार कार्य करना अनिवार्य होगा।
10. परियोजना प्रभारी के माध्यम से उपस्थिति सत्यापित होने के पश्चात ही मानदेय का भुगतान अगले माह में किया जायेगा।
11. सामान्यतः शासकीय अवकाश के दिवस एवं एक कैलेण्डर वर्ष में कुल 13 आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
12. अनुबंधित व्यक्ति किसी भी स्थिति में किसी गैरकानूनी अथवा राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा।
13. चयनित अभ्यर्थी अनुबंध छोड़ने से पहले 1 माह पूर्व संस्थान में नोटिस प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार संस्थान द्वारा कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर नियुक्ति समाप्त करने के पूर्व 01 सप्ताह का नोटिस दिया जावेगा।

-00-